न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर हड़ियाल

अनुवान :–तिलोकाराम बनाम बेगाराम आदि

प्रार्थना पत्र संख्या :– 295 / 2024

निर्णय दिनांक :– 07/07/2025

तिलोकाराम पुत्र जगनाराम जाति कुम्हार उम्र 69 वर्ष निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू

प्रार्थी

बनाम

1. बेगाराम पुत्र जैसाराम जाति जाट निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
2. राजुराम पुत्र उदाराम प्रजापत निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
3. भगवानाराम पुत्र जगनाराम प्रजापत निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
4. तिलोकाराम पुत्र जगनाराम प्रजापत निवासी ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तारानगर जिला चूरू

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 भू राजस्व अधिनियम हर प्रकार के साक्ष्य के आधार पर।

—: निर्णय :—

प्रार्थी ने अन्तर्गत धारा 111, 128, 129 एल.आर. एक्ट प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया है कि कृषिभूमि ख.नं. 246/97 तादादी 1.5174 हैक्ट. ख.नं. 249/97 तादादी 3.1360 हैक्टयर वाके रोही ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर में प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज चली आ रही है। यही विवादित कृषिभूमि है वास्ते मुलाहिजा राजस्व रिकार्ड प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है। उक्त कृषि भूमि गांव ढ़ाणा पट्टा राजपुरा की रोही में स्थित है उक्त कृषिभूमि ख. नं. 246/97 तादादी 1.5174 हैक्ट. ख.नं. 249/97 तादादी 3.1360 हैक्टयर वाके रोही ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर के अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 जो कि प्रार्थी के पड़ौसियान है जिनके साथ हमेशा सींव बाबत प्रार्थी के साथ झगड़ा फसाद करते रहते है जिस कारण प्रार्थी अपनी खेत के चारों ओर बाड़ वगैरह सही ढंग से नहीं कर सकता ना ही अपने खेत को सुधार सकता है व उक्त कृषिभूमि गांव के निकट होने से आवारा पशुओं का खेत में घुसने व फसल को नष्ट करने का खतरा हमेशा बना रहता है प्रार्थी की कृषिभूमि मौका पर कम भी हो गई है। इसलिए प्रार्थी अपनी कृषिभूमि की पैमाईश करवाना चाहता है। प्रार्थी अपनी कृषिभूमि के चारों और निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है जिस बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रार्थी अपनी उक्त कृषिभूमि ख.नं. 246/97 तादादी 1.5174 हैक्ट. ख. नं. 249/97 तादादी 3.1360 हैक्टयर वाके रोही ढ़ाणा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर की पैमाईश में पत्थर गढ़ी करवाने का कानूनी अधिकारी है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 5 को लिखित में सीमा ज्ञान का प्रार्थना–पत्र दिया व कहा कि प्रार्थी की खातेदारी कृषिभूमि की पैमाइश करवाई जाकर सीमा ज्ञान करवाकर पत्थर गढ़ी का आदेश प्रदान करें। जिस पर अप्रार्थी सं. 5 के आदेश क्रमांक 76 पृष्ठ सं. 23 के अनुसार उपरोक्त खसराज़ात की भूमि पर मय राजस्व

Rajendra

रिकॉर्ड मौके पर पहुंचा, मौके पर उपस्थित काश्तकार प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 ता 4 के सामने जरीब चलाकर सीमा ज्ञान करवाया। सीमा ज्ञान से प्रार्थी ने असंतुष्टि जाहिर की जिस पर अब दिनांक 12.12.2024.. को अप्रार्थी ने कहा कि न्यायालय से आदेश होने पर ही तुम्हारे उक्त खेत की पत्थर गढ़ी करेंगे प्रार्थी को उपरोक्त विनाय तारीख ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का हक अधिकार व कारण हासिल है।

इस कारण प्रार्थी ने न्यायालय में अपने खेत की पत्थरगढ़ी कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 2, ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री नोरंगलाल शर्मा ने वकालतनामा दिनांक 17.04.2025 को पेश किया। अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने के कारण उक्त अप्रार्थीगण संख्या 1 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 17.04.2025 को अमल में लाई गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण 2 ता 4 ने दिनांक 06.06.2025 को पत्थरगढ़ी करवाने के लिए सहमत होना जाहिर किया। पत्रावली पंडित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय संबल पखवाड़ा शिविर ग्राम पंचायत हड़ियाल में पत्रावली पेशी में ली गई। अप्रार्थी सं. 5 की ओर से राजपैरोकार ने राज्यहित प्रभावित नही होना जाहिर किया।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को ही दौहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार करने एवं विवादित भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया। प्रार्थी के निवेदन पर गौर किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी कृषिभूमि ख.नं. 246/97 तादादी 1.5174 हैक्ट. ख.नं. 249/97 तादादी 3.1360 हैक्टयर रोही मौजा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू के रिकॉर्ड खातेदार है। भूमि प्रार्थी की खातेदारी में है। प्रार्थी अपने खेत व काश्त की सुरक्षा के लिए चारो ओर निशानदेही देकर पत्थर गढ़ी करवाना चाहता है। प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी से किसी भी पक्ष को कोई नुकसान होना प्रतीत नहीं होता। वर्णित विवेचन से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

अतः स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार तारानगर को आदेश दिया जाता है कि वह पड़ौसी खातेदारों को सूचित करते हुए राजस्व नक्शा के मुताबिक कृषिभूमि ख.नं. 246/97 तादादी 1.5174 हैक्ट. ख.नं. 249/97 तादादी 3.1360 हैक्टयर रोही मौजा पट्टा राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू पत्थरगढ़ी स्वयं अथवा नायब तहसीलदार के निर्देशन में राजस्व कार्मिक टीम से कायम करावें। पत्थरगढ़ी कार्यवाही का समस्त खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। ध्यान रहे पत्थरगढ़ी के दौरान किसी भी काश्तकार को बेदखल नही किया जावे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी हो।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्डे अधिकारी
तारानगर (चूरू)

निर्णय आज दिनांक 07/07/2025 को कोर्ट कैम्प हड़ियाल में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)